"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 722] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 — कार्तिक 9, शक 1941

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 9-1/2011/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 682/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2011/11003, दिनांक 28–09–2019 द्वारा आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, ग्राम–चोरहा, आर.आई. सर्किल अहिवारा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 35 से 39 तथा संशोधित अध्यादेश क्रमांक 7 से 15 एवं 31 से 33 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., विशेष सचिव.

अध्यादेश क्रमांक – 35

डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)

1. डिप्लोमा का नामः डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.)
2. संकायः डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा संचालित किया जाएगा।
3. शैक्षणिक वर्षः शैक्षणिक सत्र के दो सेमेस्टर होंगे। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक का होगा।
4. कार्यक्रम अंतरालः
   1. यह डिप्लोमा कार्यक्रम एक वर्ष का होगा जोकि 2 सेमेस्टर (सत्र) का रहेगा।
   2. इस डी.सी.ए. कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अधिकतम अवधि 2 वर्ष की होगी। अधिकतम अवधि में अनुपस्थिति, विभिन्न प्रकार के अनुमति प्राप्त अवकाश, सम्मिलित होंगे किंतु निष्कासन की समयावधि सम्मिलित नहीं होगी।
5. प्रवेश की पात्रताः
   1. डी.सी.ए. में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय बोर्ड या विश्विविद्यालय से कम से कम उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2) की परीक्षा अथवा कोई समकक्ष योग्यता होगा।
   2. डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी. और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा।
   3. विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण जैसा भी प्रकरण हो, के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।
6. सीट की संख्या

   कक्षा में कुल 60 स्थान होंगे। आवश्यकता गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।
7. कार्यक्रम शुल्क

   कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से इसे अनुमोदित कराया जाएगा।
8. परीक्षाः
   1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़ आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
   2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
   3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, विद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः

a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण

b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकी कक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 10 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।

4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इन परीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं।

5. अगर कोई विद्यार्थी किसी भी सत्र में सभी विषयों में जो उसने इस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एवं आवश्यक प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो तो उसे दोबारा परीक्षा में उन्हीं विषयों में सिर्फ अंकों के बढ़ोतरी या अच्छे ग्रेड/डिवीज़न पाने के लिए ही बैठने दिया जाएगा।

9. **प्रगति का मूल्यांकनः**

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगति सतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

10. **उपस्थितिः**

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं।

11. **क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः**

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.00 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

12. अंकतालिका:

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

13. कार्यक्रम की संरचना:

(1) <u>पाठ्यक्रम की रचना:</u> पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा प्रकाशन से पूर्व किया जाएगा।

(2) <u>परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटर ग्रेड का दिया जाना)</u> – विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार है:-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6

C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास करना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
9.00 से उपर	प्रावीण्य
6.5 से अधिक एवं से कम 9.00	प्रथम श्रेणी
से कम 6.50 से ज्यादा एवं 4.00	द्वितीय श्रेणी

SGPA एवं CGPA

SGPA सेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + \ldots\ldots\ldots}{u_1 + u_2 + u_3\ldots\ldots\ldots}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डी.सी.ए. पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) सामान्यः कार्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(5) डिप्लोमा प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

****

अध्यादेश क्रमांक – 36

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)

1. डिप्लोमा का नामः पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.)
2. संकायः पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.) कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा संचालित किया जाएगा।
3. शैक्षणिक वर्षः शैक्षणिक सत्र के दो सेमेस्टर होंगे। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक का होगा।
4. कार्यक्रम अंतरालः
   1. यह डिप्लोमा कार्यक्रम एक वर्ष का होगा जोकि 2 सेमेस्टर (सत्र) का रहेगा।
   2. इस पी.जी.डी.सी.ए. कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अधिकतम अवधि 2 वर्ष की होगी। अधिकतम अवधि में अनुपस्थिति, विभिन्न प्रकार के अनुमति प्राप्त अवकाश, सम्मिलित होंगे किंतु निष्कासन की समयावधि सम्मिलित नहीं होगी।
5. प्रवेश की पात्रता
   1. पी.जी.डी.सी.ए. में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय बोर्ड या विश्विविद्यालय से कम से कम स्नातक की परीक्षा अथवा कोई समकक्ष योग्यता होगा।
   2. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी. और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा।
   3. विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण जैसा भी प्रकरण हो, के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।
6. सीट की संख्या

   कक्षा में कुल 60 स्थान होंगे। आवश्यकता गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।
7. कार्यक्रम शुल्क

   कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से इसे अनुमोदित कराया जाएगा।
8. परीक्षाः
   1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़ आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
   2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
   3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, विद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः

      c) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण

d) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकी कक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 10 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।

4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इन परीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं।

5. अगर कोई विद्यार्थी किसी भी सत्र में सभी विषयों में जो उसने इस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एवं आवश्यक प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो तो उसे दोबारा परीक्षा में उन्हीं विषयों में सिर्फ अंकों के बढ़ोतरी या अच्छे ग्रेड/डिवीज़न पाने के लिए ही बैठने दिया जाएगा।

9. प्रगति का मूल्यांकनः

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगति सतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

10. उपस्थितिः

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं।

11. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)
6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।

7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.00 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

12. अंकतालिकाः

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

13. कार्यक्रम की संरचनाः

(1) <u>पाठ्यक्रम की रचनाः</u> पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा प्रकाशन से पूर्व किया जाएगा।

(2) <u>परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटर ग्रेड का दिया जाना)</u> – विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार हैः-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास करना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
9.00 से उपर	प्रावीण्य
6.5 से अधिक एवं से कम 9.00	प्रथम श्रेणी
से कम 6.50 से ज्यादा एवं 4.00	द्वितीय श्रेणी

SGPA एवं CGPA

SGPA सेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + \ldots\ldots\ldots}{u_1 + u_2 + u_3\ldots\ldots\ldots}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) सामान्यः कार्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(5) डिप्लोमा प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

*****

अध्यादेश क्रमांक – 37

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग साईंस) [बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.)]

1. डिग्री का नामः — बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग साईंस) [बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.)]

2. संकायः — बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग साईंस) [बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.)] कार्यक्रम प्रबंध अध्ययन संकाय द्वारा संचालित किया जाएगा।

3. शैक्षणिक वर्षः — हर एक शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टरों में संचालित किया जाएगा, ये दोनो सेमेस्टर छः महीने की अवधि के होंगे। पहला सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं दूसरा सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

4. प्रवेश की पात्रता

   1. बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.) में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय बोर्ड या विश्विविद्यालय से कम से कम उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2) की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।
      अपितु, विद्यार्थी जो उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र (10+2) के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी या कैटरिंग साईंस के क्षेत्र में एक वर्षीय डिप्लोमा पास कर चुके हैं या समकक्ष, द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटलर प्रवेश के पात्र होंगे।
   2. बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी. और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा।
   3. विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय / संस्थानों से बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.) पाठ्यक्रम में स्थानांतरित छात्रों को प्रवेश दे सकता है। ये प्रवेश किसी भी स्तर पर कार्यक्रम की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर किया जा सकेगा। किंतु प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में स्थानांतरण को अनुमति प्रदान नहीं की जा सकेगी।
   4. विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण जैसा भी प्रकरण हो, के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।

5. सीट की संख्या
   कक्षा में कुल 60 स्थान होंगे। आवश्यकता गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।

6. कार्यक्रम शुल्क
   कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से इसे अनुमोदित कराया जाएगा।

7. पाठ्यक्रम की अवधिः

1. पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो कि छः सेमेस्टरों में विभाजित होगी।
2. शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर घोषित किया जाएगा जिसमें सेमेस्टर ब्रेक का विवरण भी होगा।
3. विद्यार्थी के बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.) पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में विभिन्न प्रकार के अनुज्ञेय अवकाश व अनुपस्थिति की अवधि सम्मिलित होगी परंतु इसमें निष्कासन, अगर कोई हो तो, की अवधि सम्मिलित नहीं होगी।
4. प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर में निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं का पंजीयन करवाना होगा।

8. परीक्षाः

1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़ आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, विद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः
   a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण
   b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ ट्यूटोरियल/ प्रयोगिकी कक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 10 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।
4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इन परीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं।
5. अगर कोई विद्यार्थी किसी भी सत्र में सभी विषयों में जो उसने इस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एवं आवश्यक प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो तो उसे दोबारा परीक्षा में उन्हीं विषयों में सिर्फ अंकों के बढ़ोतरी या अच्छे ग्रेड/डिवीज़न पाने के लिए ही बैठने दिया जाएगा।

9. प्रगति का मूल्यांकनः

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगति सतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

10. उपस्थितिः

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं।

11. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणालीः

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।
2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।
3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।
4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।
5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)
6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।
7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।
8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।
9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।
10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.00 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

12. अंकतालिका:

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे । हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा । अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा । इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा ।

13. कार्यक्रम की संरचना:

(1) <u>पाठ्यक्रम की रचना:</u> पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा प्रकाशन के पूर्व किया जाएगा ।

(2) <u>परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटर ग्रेड का दिया जाना)</u> – विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार है:-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8
B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास करना होगा ।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
9.00 से उपर	प्रावीण्य
6.5 से अधिक एवं से कम 9.00	प्रथम श्रेणी
से कम 6.50 से ज्यादा एवं 4.00	द्वितीय श्रेणी

SGPA एवं CGPA

SGPA सेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3.....}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि बी.बी.ए. (एच.एम.सी.एस.) पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(4) सामान्यः कार्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(5) डिग्री प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

*****

अध्यादेश क्रमांक – 38

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच. डी.)

1. उपाधि का नामः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच. डी.)
2. प्रयोज्यताः डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच. डी.) कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभी संकायों द्वारा संचालित किया जा सकेगा।
3. पीएच. डी. कार्यक्रम में प्रवेश के मानदण्डः

3.1 पीएच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एक व्यवसायिक उपाधि होगी जिसे समकक्ष सांविधिक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित किया गया हो, जिसमें अभ्यर्थी को कम से कम 55% अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिंदु मानक पर बी ग्रेड प्राप्त हुए हों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहां बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) अथवा ऐसे प्रत्यातित विदेशी शैक्षिक संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो, जो कि किसी आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधित प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित हैं जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है।

3.2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग जो (गैर लाभन्वित श्रेणी) से संबंद्ध है अथवा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों की अन्य श्रेणियों के लिए अथवा दिनांक 19 सितंबर 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 55% से 50% अंक तक अर्थात अंकों में 5% की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है। 55% अर्हता अंक (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिंदु मानक पर समकक्ष ग्रेड) तथा उपर्युक्त श्रेणियों में 5% अंकों की छूट केवल अर्हक अंकों के आधार पर ही अनुमेय है जिसमें रियायती अंक शामिल नहीं है।

3.3 अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आंकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अन्तर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है जो कि उस देश में किसी कानून के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित है, ऐसे अभ्यर्थी पीएच. डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।

4. कार्यक्रम अंतरालः

4.1 पीएच.डी. कार्यक्रम नियमित अभ्यार्थियों के लिए निम्नतम 3 वर्ष का एवं अंशकालिक अभ्यार्थियों के लिए 4 वर्ष का होगा जिसमें कोर्स वर्क भी सम्मिलित होगा। अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी परन्तु

पीएच.डी. में पंजीकरण के समय एम.फिल. या 2 वर्ष का शैक्षकीय अनुभव होने पर नियमित अभ्यर्थी 3 के स्थान पर 2 वर्ष में एवं अंशकालिक अभ्यर्थी 4 के स्थान पर 3 वर्ष में शोधप्रबंध जमा कर सकेंगे।

4.2 कुलपति उपरोक्त अधिकतम अवधि में एक अतिरिक्त वर्ष की वृद्धि की अनुमति प्रदान कर सकते हैं जिसमें एक और वर्ष की वृद्धि की अनुमति भी संभव होगी किंतु इन अवधि में अभ्यर्थी को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

4.3 महिला अभ्यर्थी एवं निःशक्त जन (40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) को पीएच.डी. कार्यक्रम की अधिकतम अवधि में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकती है । इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम 240 दिन की मातृत्व अवकाश अथवा शिशु देखभाल हेतु पीएच.डी. कार्यक्रम की अवधि में प्रदान किया जा सकता है।

5. प्रवेश प्रक्रिया

5.1 पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा उन अभ्यर्थियों को जो UGC-NET (JRF सहित) / UGC-CSIR NET (JRF सहित) / SLET / GATE / शैक्षिक छात्रवृत्ति धारक या एम. फिल. उपाधि प्राप्त या किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान में कम से कम 2 वर्ष सेवा का अनुभव रखते हैं उन्हें इस प्रवेश परीक्षा से मुक्त किया जा सकता हैं।

5.2 पीएच.डी. कार्यक्रम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने हेतु विश्वविद्यालयः-

5.2.1 वार्षिक आधार पर अपने शैक्षणिक निकायों के माध्यम से पूर्व निर्धारित तथा संतुलित संख्या में पीएच.डी शोधार्थी को दाखिला देगा जो कि उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं पर निर्भर करेगी, तथा शोधार्थी शिक्षक अनुपात (जैसा पैरा 6.5 में दर्शाया गया है) प्रयोगशाला, ग्रंथालय तथा ऐसी ही अन्य सुविधाओं के संबंध में मानदण्ड को ध्यान में रखा जाएगा।

5.2.2 दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का विषय विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड, दाखिले की प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा अभ्यर्थियों के लाभ के लिए अन्य सभी संगत जानकारी संस्थागत वेबसाइट तथा कम से कम दो (2) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में पहले ही जारी करें जिनमें से (01) समाचार पत्र क्षेत्रीय भाषा का हो।

5.3 दाखिले, संस्थान द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों / मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केन्द्र / राज्य सरकारों की आरक्षण नीति को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे।

5.4 विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों को द्विचरणीय प्रक्रिया के द्वारा प्रवेश देगाः-

5.4.1 प्रवेश परीक्षा, अर्हक परीक्षा होगी जिसमें 50 प्रतिशत अर्हता अंक होंगे। प्रवेश परीक्षा के पाठ्यवितरण में 50 प्रतिशत पद्धति तथा 50 प्रतिशत विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा पहले ही अधिसूचित केन्द्र पर पैरा 5.1 के अनुसार आयोजित की जाएगी।

5.4.2 विश्वविद्यालय अभ्यर्थियों के शोध रुचि या क्षेत्र से संबंधित चर्चा हेतु विधिवत गठित समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण के माध्मय से एक साक्षात्कार या मौखिकीका आयोजन कर सकता है।

5.5 साक्षात्कार या मौखिकी में निम्नवत पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा

5.5.1 क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है;

5.5.2 प्रस्तावित शोधकार्य सुलभतापूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है;

5.5.3 प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन / अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है ;

5.6 विश्वविद्यालय अपनी वेबसाईट पर पीएच.डी. के लिए पंजीकृत सभी छात्रों की सूची का रख रखाव वार्षिक आधार पर करेगा। सूची में पंजीक़त अभ्यर्थियों का नाम, उसके शोध का विषय, उसके पर्यवेक्षक / सह पर्यवेक्षक, नामांकन / पंजीकरण की तिथी आदि शामिल होंगे।

6. शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण:- शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक अनुमेय पीएच.डी. शोधार्थियों की संख्या आदि

6.1 विश्वविद्यालय का कोई भी नियमित रुप में नियुक्त आचार्य जिसने किसी संदर्भित पत्रिका में कम से कम पांच प्रकाशन प्रकाशित किए हैं और विश्वविद्यालय का कोई नियमित सह / सहायक आचार्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम दो शोध प्रकाशित किए गए हों उसे शोध पर्यवेक्षक के रुप में मान्यता प्रदान की जा सकती है। बशर्ते कि उन क्षेत्रों / विधाओं में जहां कोई भी संदर्भित पत्रिका नहीं हों तथा केवल सीमित संस्था में संदर्भित पत्रिका हो, तो विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति को शोध पर्यवेक्षक के रुप में नाम्यता प्रदान करने की उपर्युक्त शर्तों में लिखित रुप से कारण दर्ज कर छूट प्रदान कर सकता है।

6.2 केवल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रुप में कार्य कर सकते हैं। बाह्य पर्यवेक्षकों को अनुमति नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय के अन्य विभागों या अन्य संबंधित संस्थानों से अंतर – विषयी क्षेत्रों में सह-पर्यवेक्षकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है।

6.3 किसी चयनित शोधार्थी के लिए शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा प्रति शोध पर्यवेक्षक शोधार्थियों की संख्या, पर्यवेक्षक की विशेषज्ञता तथा शोधार्थियों की शोध रुचि, जैसा कि उनके साक्षात्कार / मौखिक साक्षात्कार के समय इंगित किया गया हो, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

6.4 ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरुप के हैं, जहां संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी जाहिए, उस स्थित में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक के रुप में जाना जाएगा और विभाग / संकाय / विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह-पर्यवेक्षक को ऐसी निबंधन व शर्तों पर सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा जैसा कि सहमति करने वाले संस्थान / महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिनपर आपस में सहमति बनेगी।

6.5 किसी एक समय के दौरन कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक के रुप में (08) पीएच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। कोई भी सह-आचार्य शोध पर्यवेक्षक के रुप में अधिकतम (06) शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है, तथा शोध पर्यवेक्षक के रुप में सहायक आचार्य (04) शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

6.6 विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी पीएच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर, शोध आंकडों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहां शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तों का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। तथापि, शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा।

7. पाठ्यक्रम संबंधी कार्यः श्रेय अपेक्षाएं, संख्या, अवधि, पाठ्यविवरण, कार्य पूर्ण करने के न्यूनतम मापदण्ड आदि

7.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट जैसा कि अध्ययन मण्डल निर्धारित करें, दिए जाएंगे।

7.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्यको पीएच.डी. की तैयारी के लिए पूर्वपेक्षा माना जाएगा। शोध पद्धति पर एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम को कम से कम चार क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें ऐसे क्षेत्र जैसे परिमाणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शोध संबंधी आचार तथा संगत क्षेत्र में प्रकाशित शोध की समीक्षा, प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य आदि शामिल हैं। अन्य पाठ्यक्रम उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम होंगे जो छात्रों को पीएच.डी. के लिए तैयार करेंगे।

7.3 पीएच.डी. के लिए विहित सभी पाठ्यक्रम संबंधी कार्य क्रेडिट घंटे संबंधी अनुदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुरुप होगा तथा वह विषयवस्तु, अनुदेशात्मक तथा मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों को विनिर्दिष्ट करेगा। वे प्राधिकृत शिक्षक निकायों द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित किए जाएंगे।

7.4 ऐसे विभाग जहां शोधार्थी अपना शोध कार्य जारी रखते हैं, वे शोधार्थी को शोध सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर नीचे दिए गए उप-खण्ड 8.1 में तथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों को विहित करेंगे।

7.5 पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी नियमित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टरों के दौरान तथा अंशकालिक अभ्यर्थियों को तीसरे अथवा चौथे सेमेस्टर तक विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.6 पहले ही एम. फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त हो गया है, उन्हे विभाग द्वारा पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य से छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पीएच.डी. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।

7.7 शोध पद्धति पाठ्यक्रमों सहित पाठ्यक्रम संबंधी कार्य में ग्रेड को शोध सलाहकार समिति द्वारा समेकित मूल्यांकन किए जाने के बाद अंतिम रुप दिया जाएगा तथा विश्वविद्यालय को अंतिम ग्रेड के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

7.8 किसी पीएच.डी. शोधार्थी को पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 7 बिंदु मानक पर इसके समकक्ष ग्रेड / सी.जी.पी.ए. प्राप्त करना होगा ताकि वह पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए पात्र हो तथा उसे शोध प्रबंध जमा कर सके।

7.9 पर्यवेक्षक की अनुशंसा पर पाठ्यक्रम संबंधी कार्य विश्वविद्यालय से संबंधित शालाओं / विभागों / संस्थानों में विश्वविद्यालय में अथवा बाहर भी किया जा सकता है।

8. शोध सलाहकार समिति एवं उनके कार्य

8.1 प्रत्येक शोध छात्र के लिए, एक शोध सलाहकार समिति होगी। समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे:-

(अ) शोधार्थी के शोध पर्यवेक्षक समिति के संयोजक होंगे।

(ब) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष सदस्य के रुप में।

(स) विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ संकाय सदस्य जो शोध पर्यवेक्षक होने की पात्रता रखते हों, सदस्य के रुप में।

विश्वविद्यालय में दो शोध पर्यवेक्षक के रुप में पात्र वरिष्ठ संकाय सदस्य उपलब्ध न होने की स्थिति में कुलपति को अधिकार होगा कि वे विश्वविद्यालय के बाहर से शोध पर्यवेक्षक के रुप में पात्र कोई दो सदस्यों मनोनीत कर सकेंगे।

कोरम पूर्ण करने हेतु तीन सदस्यों की आवश्यकता होगी।

8.2 समिति का उत्तरादायित्व निम्नानुसार होगा:-

8.2.1 शोध उपाधि समिति (RDC) के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने हेतु शोध प्रस्ताव की समीक्षा एवं शोध विषय का निर्धारण।

8.2.2 अध्ययन रचना का विकास, शोध कार्यप्रणाली एवं शोधार्थी द्वारा किए जाने वाले कोर्स / कोर्सेस का निर्धारण में शोधार्थी का मार्गदर्शन करना।

8.2.3 शोधार्थी द्वारा किए गए शोध की प्रगति में सहायता एवं समीक्षा करना।

8.3 शोधार्थी, शोध सलाहकार समिति के समक्ष मूल्यांकन एवं आगे मार्गदर्शन एवं अपने द्वारा किए गए शोध प्रगति के प्रदर्शन हेतु हर छः महीनों में एक बार उपस्थित होना होगा। शोध सलाहकार समिति, छः माही विवरण विश्वविद्यालय को जमा करेगा जिसकी एक प्रति शोधार्थी को भी दी जाएगी।

8.4 शोधार्थी की प्रगति असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में, शोध सलाहकार समिति इसका कारण अभिलेखित कर आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन सुझावों को लागू करने में समर्थ नहीं हो पाता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ठ कारणों के साथ विश्वविद्यालय को शोधार्थी का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुशंसा कर सकता है।

9. शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी) एवं उनके कार्य

9.1 प्रत्येक शोध छात्र के लिए, एक शोध उपाधि समिति होगी । समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगेः-

(अ) कुलपति या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति - अध्यक्ष

(ब) संकाय के डीन - सदस्य

(स) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष – सदस्य

(द) अध्यक्ष, संबंधित अध्ययन मण्डल – सदस्य

(ई) अभ्यर्थी के पर्यवेक्षक

कोरम पूर्ण करने हेतु तीन सदस्यों की आवश्यकता होगी ।

9.2 पैरा 8.2.1 के अनुसार, शोध सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसित शोध प्रस्ताव पर विचार कर शोध विषय को अनुशंसित / संशोधन / निरस्त करना ।

9.3 शोध उपाधि समिति के पास शोध कार्य से संबंधित वे सभी अधिकार भी होंगे जो इस अध्यादेश में कहीं भी उल्लेखित नहीं हैं ।

9.4 यदि शोध विषय आर.डी.सी. द्वारा अनुशंसित किया जाता है तो उसे पंजीयन हेतु उपयुक्त माना जाएगा ।

10. उपाधि आदि अवार्ड करने के लिए मूल्यांकन तथा निर्धारण पद्धतियाँ, न्यूनतम मानदण्ड / क्रेडिट आदि

10.1 पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगी ।

10.2 पाठ्यक्रम संबंधी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त तथा उपर्युक्त 7.8 उप धाराओं में विहित अंक / ग्रेड प्राप्त करने पर

10.3 शोध प्रबंध को जमा करने से पूर्व, शोधार्थी संबंधित संस्थान की शोध सलाहकार समिति के समक्ष एक प्रस्तुति देगा जिसमें सभी संकाय सदस्यगण तथा अन्य शोधार्थी उपस्थित होंगे । उनसे प्राप्त हुई प्रतिपुष्टि तथा टिप्पणियों को शोध सलाहकार समिति के परामर्श से मसौदा शोध प्रबंध में उपयुक्त रुप में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

10.4 मूल्यांकन हेतु शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व पीएच.डी. शोधार्थी संदर्भित मानक पत्रिका में कम से कम (01) शोध पत्र अनिवार्य रुप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से पूर्व, सम्मेलनों / संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इसके संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और / अथवा पुनर्मुद्रणों के रुप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

10.5 अभ्यर्थी थीसिस के सारांश की छः प्रति, एवं कम से कम एक मानक शोध पत्रिका में स्वीकृत या प्रकाशित शोध पत्र की सूची अपने शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से थीसिस जमा करने के प्रत्याशित तिथि के लगभग दो माह पहले जमा करेगा ।

10.6 शोध पर्यवेक्षक, छः परीक्षकों की एक नामिका एक मोहरबंद लिफाफे में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत करेंगें जो सम्बद्ध क्षेत्र के शोध में सक्रिय रुप से क्रियाशील हैं एवं कम से कम सह प्राध्यापक के पद के श्रेणी के हों । यदि अभ्यर्थी, शोध पर्यवेक्षक से संबंधित हो तो यह नामिका, संबंधित विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

10.7 पर्यवेक्षकों द्वारा परीक्षकों की नामिका एवं अभ्यर्थी द्वारा सारांश की प्राप्ती होने पर कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, इस हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित समिति की बैठक आहुत करेंगे। समिति, पर्यवेक्षक / अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत नामिका पर विचार करने के पश्चात, परीक्षकों के रुप में कार्य करने हेतु छः नामों की नामिका तैयार करेंगे ।

10.8 संस्थान की शैक्षणिक परिषद (अथवा इसके समकक्ष निकाय), सुविकसित सॉफ्टवेयर तथा उपकरणों के विकास द्वारा साहित्यिक चोरी तथा शिक्षा संबंधी छल-कपट का पता लगाएगी । शोध प्रबंध को मूल्यांकन हेतु जमा करने से पूर्व शोधार्थी से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी तथा शोध पर्यवेक्षक द्वारा कार्य की मौलिकता के अनुप्रमाणन स्वरुप एक प्रमाणपत्र जमा करना होगा, जिसमें यह आश्वासन दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं की गई है तथा यह कार्य उसी संस्थान में जहां शोध कार्य किया गया था अथवा किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि / डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवार्ड करने के लिए प्रस्तुत नही किया गया है ।

10.9 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत थीसिस का मूल्यांक शोध पर्यवेक्षक एवं दो बाह्य परीक्षकों जो कि पैरा 10.7 के अंतर्गत बनाए गए नामिका में से कुलपति द्वारा नियुक्त किए गए हों, द्वारा किया जाएगा । उल्लेखित परीक्षक संस्था / महाविद्यालय में नियुक्त नहीं हों एवं उनमे से निम्नतम एक परीक्षक छत्तीसगढ़ या देश के बाहर से हों । अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई समीक्षा पर मौखिक परीक्षा, शोध पर्यवेक्षक तथा दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक बाह्य परीक्षक द्वारा की जाएगी, इसमें शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण तथा विभाग में संकाय सदस्यगण एवं अन्य शोधार्थी और इस विषय में रुचि लेने वाले विशेषज्ञ / शोधकर्ता भी भाग ले सकते हैं ।

यदि शोध पर्यवेक्षक किन्ही कारणों से मौखिक परीक्षा के संचालन की असमर्थ हों तो सह शोध पर्यवेक्षक (यदि हो), पर्यवेक्षक के स्थान पर मौखिक परीक्षा का संचालन कर सकते हैं ।

यदि सह शोध पर्यवेक्षक भी किन्ही कारणों से मौखिक परीक्षा के संचालन की असमर्थ हों तो कुलपति एक संकाय सदस्य की नियुक्ति, अभ्यर्थी के मौखिक परीक्षा के संचालन हेतु कर सकते है ।

10.10 शोध प्रबंध / थीसिस के पक्ष में शोधार्थी की सार्वजनिक मौखिक परीक्षा केवल उस स्थित में ली जाएगी जब शोध प्रबंध / थीसिस / पर बाह्य परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक हो तथा उसमें मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें शामिल हों । एक बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतोषजनक होने पर तथा उसमें मौखिक परीक्षा की सिफारिश नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित नामिका में किसी अन्य बाह्य परीक्षक को शोध प्रबंध / थीसिस भेजेगा तथा नए परीक्षक की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने

पर ही मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि नए परीक्षक की रिपोर्ट असंतोषजनक हो तो, शोध प्रबंध / थीसिस को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी को उपाधि प्रदान करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

11. उपस्थिति

एक पीएच.डी. छात्र को उसके कार्यकाल में कम से कम 200 दिनों की उपस्थिति, विश्विद्यालय में संबंधित विभाग या शोध पर्यवेक्षक के समक्ष देनी होगी।

12. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. उपाधि का संचालन

अंशकालिक आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति होगी बशर्ते मौजूदा पी.एच.डी. की इस अध्यादेश में उल्लेखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

13. कार्यक्रम शुल्क

कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से इसे अनुमोदित कराया जाएगा।

14. इन्फ्लिबनेट के साथ डिपोजिटरी

14.1 पीएच.डी. उपाधि (यों) को अवार्ड करने हेतु सफलता पूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात तथा पी.एच.डी. उपाधि को प्रदान किए जाने की घोषणा से पूर्व, विश्वविद्यालय शोध प्रबंध की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति इंफ्लिबनेट के पास प्रदर्शित (होस्ट) करने के लिए जमा करेगा ताकि सभी संस्थानों / महाविद्यालयों तक इनकी पहुँच बनाई जा सके।

14.2 उपाधि को वास्तव में प्रदान करने से पूर्व विश्वविद्यालय इस आशय का एक अनंतिम प्रमाणपत्र जमा करेगा कि उपाधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरुप प्रदान की गई है।

15. विश्वविद्यालय, पीएच.डी. की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मार्गदर्शनों एवं मानदण्डों का पालन करेगा।

16. विश्वविद्यालय शोध हेतु रुपरेखा, अभ्यर्थी द्वारा विविध घोषणापत्र, पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणपत्र, कॉपी राईट स्थानांतरण अनुमोदन, एवं परीक्षक द्वारा मूल्यांकन विवरण इत्यादि हेतु आवश्यक पपत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

अध्यादेश क्रमांक – 39

मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)

1. डिग्री का नामः मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)
2. संकायः मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) कार्यक्रम कला एव मानविकी संकाय द्वारा संचालित किया जाएगा।
3. शैक्षणिक वर्षः शैक्षणिक सत्र के दो सेमेस्टर होंगे। प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर एवं द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक का होगा।
4. कार्यक्रम अंतरालः
   1. यह स्नातकोत्तर उपाधि दो वर्ष का होगा जो कि 4 सेमेस्टर (सत्र) का रहेगा।
   2. इस मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अधिकतम अवधि 4 वर्ष की होगी। अधिकतम अवधि में अनुपस्थिति, विभिन्न प्रकार के अनुमति प्राप्त अवकाश, सम्मिलित होंगे किंतु निष्कासन की समयावधि सम्मिलित नहीं होगी।
5. प्रवेश की पात्रता
   1. मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदेश सरकार/ राष्ट्रीय/ अतर्राष्ट्रीय बोर्ड या विश्विविद्यालय से कम से कम स्नातक की परीक्षा अथवा समकक्ष में उत्तीर्ण होना होगा।
   2. मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हर एक सत्र के शुरु में शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार ही होगा। प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा एवं ये नियम यू.जी.सी. और प्रदेश सरकार की नीतियों के अनुरुप होगा।
   3. विद्यार्थी के अध्ययन में असंतोषप्रद अथवा कदाचरण जैसा भी प्रकरण हो, के आधार पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को कभी भी समाप्त कर सकता है और उसे विश्वविद्यालय छोड़ने को कह सकता है।
6. सीट की संख्या

   प्रत्येक विषय की कक्षाओं में कुल 40 स्थान होंगे। आवश्यकतानुसार गुणात्मक संख्याओं की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी।
7. कार्यक्रम शुल्क

   कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग से इसे अनुमोदित कराया जाएगा।
8. परीक्षा
   1. विश्वविद्यालय सतत मूल्यांकन की पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, क्विज़ आदि शामिल होगा, जिससे विद्यार्थियों की अध्ययन में प्रगति का पता लग सके। सेमेस्टर के आखिरी में विद्यार्थी के प्रगति के मूल्यांकन के लिए अंतिम परीक्षा होगी।
   2. सेमेस्टर के अंत में परीक्षा की परीक्षा योजना एवं सत्र के अन्दर होने वाली सारी परीक्षाओं का ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा।
   3. संकाय के डीन / अकादमिक समन्वयक, विद्यार्थी को अंतिम परीक्षा में बैठने से निम्नलिखित कारणों से रोक सकते हैः

a) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही के कारण

b) विभागाध्यक्ष या अकादमिक समन्वयक की अनुशंसा पर यदि व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रयोगिकी कक्षाओं में विद्यार्थी की उपस्थिति, पैरा 10 में निर्धारित से कम हो, जो कि उपस्थिति से संबंधित है।

4. विश्वविद्यालय हर एक सेमेस्टर के अंत में नियमित छात्रों के लिए में सभी परीक्षाएं करवाएगा, इन परीक्षाओं में वे विद्यार्थी जो पिछले सत्र में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो या पिछले सत्र की परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे वे भी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं।

5. अगर कोई विद्यार्थी किसी भी सत्र में सभी विषयों में जो उसने इस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एवं आवश्यक अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो तो उसे दोबारा परीक्षा में उन्हीं विषयों में सिर्फ अंकों के बढ़ोतरी या अच्छे ग्रेड/डिवीज़न पाने के लिए ही बैठने दिया जाएगा।

9. प्रगति का मूल्यांकन:

(a) विद्यार्थियों के अध्ययन की प्रगति सतत मूल्यांकन की पद्धति का पालन करते हुए अध्ययन मण्डल द्वारा निर्मित तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के विभिन्न अवयवों द्वारा निर्धारित की जाएगी जिनमें विभिन्न टेस्ट एवं सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा सम्मिलित है।

(b) हर एक विषय में विद्यार्थी द्वारा अर्जित अंक, जो उसने विषय के विभिन्न अवयवों में प्राप्त किए हैं उसे जोड़ा जाएगा और कुल योग प्राप्त किया जाएगा, इस अंतिम योग के आधार पर ही उस विषय में विद्यार्थी के ग्रेड प्रदान किए जाएंगे।

10. उपस्थिति:

सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी को कार्यक्रम के सभी विषयों में अलग अलग में कम से कम 75 उपस्थिति देनी होगी किंतु विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति 15% की रियायत दे सकते हैं।

11. क्रेडिट के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली:

1. हर विषय का भार क्रेडिट द्वारा दर्शाया जाएगा विषय के लिए क्रेडिट, शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा तय किए जाएंगे।

2. विद्यार्थियों को हर विषय में, जो कि उसने उस सत्र में अध्ययन के लिए लिया है, एक लेटर ग्रेड दिया जाएगा। यह लेटर ग्रेड उस विद्यार्थी द्वारा उस विषय में अर्जित कुल अंक के आधार पर निर्धारित होगा। कुल अंक के लिए सत्र में अर्जित सभी अंकों को जोड़ा जाएगा।

3. शैक्षणिक परिषद यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली के दिशा निर्देशों के अनुसार ही लेटर ग्रेड प्रदान करने के लिए प्रणाली बनाएगी।

4. हर विषय में सिर्फ लेटर ग्रेड ही दिया जाएगा।

5. विद्यार्थी, पाठ्यक्रम में दर्शाए गए विषयों में पूरी क्रेडिट प्राप्त करेंगे, यह क्रेडिट उन्हें तभी मिलेगा, जब विद्यार्थी उस विषय में वैध ग्रेड प्राप्त करें। (किसी विषय में क्रेडिट पाने के लिए विद्यार्थी को कम से कम "पी" (पास) ग्रेड प्राप्त करना होगा)

6. अगर कोई विद्यार्थी किसी विषय में किसी कारण "एफ" ग्रेड लाता है तो उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और विद्यार्थी को उस विषय में फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी या विद्यार्थी चाहे तो उस विषय को फिर से पूरे सत्र में पढ़ सकता है।

7. सेमेस्टर ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (SGPA), कसी भी सत्र में यू.जी.सी. द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा इस सत्र में पढ़े गए विषय को ही लिया जाता है।

8. संचयी ग्रेड प्वाईंट एवेरेज (CGPA),किसी भी सत्र में यू.जी.सी. के दिए गए निर्देशानुसार ही निकाली जाएगी। इसमें विद्यार्थी द्वारा उस सत्र तक लिए गए सभी विषयों को सम्मिलित किया जाता है।

9. हर सत्र के अन्त में ग्रेडशीट में SGPA एवं CGPA दशमलव के बाद 2 स्थान तक दर्शायी जाएगी।

10. उपाधि लेने की पात्रता के लिए विद्यार्थी को कम से कम 4.00 CGPA प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. पाठ्यक्रम के अंतिम परीक्षा के बाद एक अंतिम अर्जित अंक तालिका (अंतिम ग्रेडशीट) दी जाएगी इसमें विषयों में अर्जित ग्रेड एवं अन्तिम CGPA दर्शायी जाएगी। यह CGPA का समतुल्य प्रतिशत क्या है उसे शैक्षणिक परिषद के सुझाव के अनुसार पाया जा सकता है।

12. अंकतालिका:

आखिरी अंक तालिका जो कि पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को दिया जाएगा उसमें सारे विषय जो कि विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम के पूर्ण अवधि में लिए हैं एवं विषयों में जो भी क्रेडिट एवं ग्रेड अर्जित किए हैं दर्शाए जाएंगे। हर एक सत्र का SGPA भी दिखाया जाएगा। अंतिम CGPA जो कि अर्जित किया गया है उसे भी दिखाया जाएगा। इसमें विद्यार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है वह भी लिखा होगा।

13. कार्यक्रम की संरचना:

(1) विश्वविद्यालय अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, लोक प्रशासन, भूगोल, हिन्दी, संस्कृत, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, गणित, जनसंचार, पत्रकारिता, शिक्षा, दर्शन एवं योग विषयों मास्टर ऑफ आर्ट्स में प्रारंभ कर सकेगी।

(2) <u>पाठ्यक्रम की रचना:</u> पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति की रचना संबंधित विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा की जाएगी जिसका अनुमोदन शैक्षणिक परिषद के द्वारा प्रकाशन के पूर्व किया जाएगा।

(3) <u>परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षाफल (लेटर ग्रेड का दिया जाना)</u> – विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित सापेक्ष ग्रेडिंग पद्धति को अपनाएगा और उसी का अनुशरण करेगा जो कि निम्नानुसार है:-

लेटर ग्रेड	आखिरी परीक्षाफल का वर्ग	ग्रेड के अंक
O	अति उत्कृष्ठ	10
A+	उत्कृष्ठ	9
A	अति उत्तम	8

B+	उत्तम	7
B	औसत से उपर	6
C	औसत	5
P	उत्तीर्ण	4
F	अनुत्तीर्ण	0
AB	अनुपस्थित	0

पुनश्चः कोई विद्यार्थी जिसने किसी भी विषय में -F ग्रेड पायी हो उसे उस विषय में अनुत्तीर्ण माना जाएगा और उसे उस विषय में फिर से परीक्षा देकर पास करना होगा।

श्रेणी घोषित करने के लिए

CGPA	SGPA
9.00 से उपर	प्रावीण्य
6.5 से अधिक एवं से कम 9.00	प्रथम श्रेणी
से कम 6.50 से ज्यादा एवं 4.00	द्वितीय श्रेणी

SGPA एवं CGPA

SGPA सेमेस्टर में अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

CGPA कुल अर्जित ग्रेड अंकों का औसत

SGPA एवं CGPA निकालने के तरीके

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3.....}$$

जिसमें u_1, u_2, u_3..... आदि हर एक विषयों को दिए गए क्रेडिट को दर्शाते हैं जो कि विद्यार्थी ने अध्ययन के दौरान ली हो। उसी प्रकार g_1, g_2, g_3..... आदि विद्यार्थियों द्वारा उन्ही विषयों में अर्जित ग्रेड के अंक CGPA के गणना में इस्तेमाल किया जाएगा। उसी प्रकार SGPA की गणना की जाएगी ,पर इसमें सिर्फ विद्यार्थी द्वारा अध्ययन के लिए गए उसी सत्र में विषयों को सम्मिलित किया जाएगा और गणना की जाएगी। CGPA को अंक में बदलने के लिए प्रारुप

अंक प्रतिशत में = (CGPA – 0.5)*100

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम यू.जी.सी. या अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही हो।

(5) सामान्यः कार्यक्रम संरचना एवं पाठ्यक्रम से संबंधित सभी मामलों में कुलपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(6) डिग्री प्रमाणपत्र एवं ग्रेड शीट, विश्वविद्यालय के अध्यादेश 16 में निर्धारित प्रारुप में उपयुक्त प्रविष्टयों के साथ होंगे।

*****

अध्यादेश क्रमांक 7 में संशोधन (बैचलर ऑफ एजुकेशन – बी.एड.)

अध्यादेश क्रमांक 7 में संशोधन (बैचलर ऑफ एजुकेशन – बी.एड) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. धारा 3, "अंतरालः एक वर्ष" को संशोधित किया जाए और "अंतराल: दो वर्ष" पढ़ा जाए ।.
2. धारा 5, सीट्सः- कक्षा में कुल 60 स्थान होंगे । आवश्यकतानुसार गुणात्मक संख्यों की कक्षाएं निर्मित की जा सकेंगी को संशोधित करते हुए "सीट्स: सीट्स की संख्या एन.सी.टी.ई. के अनुमोदनानुसार होगी" पढ़ा जाए ।
3. धारा 7, वर्तमान धारा को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
   "कार्यक्रम शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (AFRC) छत्तीसगढ़ द्वारा किया जाएगा"
4. धारा 9, वर्तमान धारा को विलोपित किया जाए एवं उसके स्थान पर निम्नानुसार पाठ किया जाए:-
   "परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम की संरचना संबंधित अध्ययन मण्डल द्वारा की निर्धारित किया जाएगा तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा"

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 8 में संशोधन (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन)

अध्यादेश क्रमांक 8 में संशोधन (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

धारा 5, "पात्रताः किसी भी अनुशासन में 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा 50% या अधिक" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"पात्रता: किसी भी अनुशासन में 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा"

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 9 में संशोधन (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन)

अध्यादेश क्रमांक 9 में संशोधन (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. अध्यादेश का नाम संशोधित करते हुए बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन पढ़ा जाए ।
2. धारा 1, में शीर्षक "बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.सी.ए.)" को संशोधित करते हुए "बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (बी.सी.ए.)" पढ़ा जाए ।
3. धारा 2, में "संकायः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय" के स्थान पर "संकायः सूचना प्रौद्योगिकी संकाय पढ़ा जाए" ।
4. धारा 4, "पात्रताः किसी भी अनुशासन में 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा 50% या अधिक" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:- "पात्रताः किसी भी अनुशासन में 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा"

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 10 में संशोधन (मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन)

अध्यादेश क्रमांक 10 में संशोधन (मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. अध्यादेश का नाम संशोधित करते हुए मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) पढ़ा जाए।
2. धारा 1, में शीर्षक "मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.सी.ए.)" को संशोधित करते हुए "मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.)" पढ़ा जाए।
3. धारा 2, में "संकायः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय" के स्थान पर "संकायः सूचना प्रौद्योगिकी संकाय" पढ़ा जाए।
4. धारा 3, में "अंतरालः 3 वर्ष / छः सेमेस्टर" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:- "अंतराल: 3 वर्ष / छः सेमेस्टर एवं लेटेरल प्रवेश के लिए 2 वर्ष/ 4 सेमेस्टर"
5. धारा 4, "पात्रताः किसी भी अनुशासन में स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा 45% या अधिक तथा स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र जिनका परीक्षा फल प्रतिक्षित है" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:- "पात्रताः किसी भी अनुशासन में स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा 40% या अधिक तथा गणित सहित 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र जिनका परीक्षा फल प्रतिक्षित है भी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। बी.सी.ए. / बी.एस.सी. (आई.टी. या कम्प्यूटर साईंस) /1 वर्षीय पी.जी.डी.सी.ए. / गणित विषय के साथ स्नातक भी एम.सी.ए. कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल प्रवेश को पात्रता होगी"।

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 11 में संशोधन (बैचलर ऑफ हॉस्पिटिलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस उपाधि का नाम अपनी सूची से हटा दिया है अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के आधार पर अध्यादेश अध्यादेश क्रमांक 11 में संशोधन बैचलर ऑफ हॉस्पिटिलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट – बी.एच. टी.एम.) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

1. अध्यादेश का नाम संशोधित करते हुए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (हॉस्पिटिलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट), बी.बी.ए. (एच.टी.एम.) पढ़ा जाए।
2. अध्यादेश का "शीर्षक: बैचलर ऑफ हॉस्पिटिलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट – बी.एच. टी.एम." के स्थान पर "बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (हॉस्पिटिलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट), बी.बी.ए. (एच.टी.एम.)" पढ़ा जाए।
3. धारा 4, "पात्रताः किसी भी अनुशासन में 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा 50% या अधिक" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:- "पात्रताः किसी भी अनुशासन में 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा"

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 12 (बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (सिविल इंजिनयरिंग)) में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 12 बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (सिविल इंजिनयरिंग)) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. धारा 4, में "अतरालः 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
   "अंतराल 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर एवं लेटेरल प्रवेश के लिए 3 वर्ष/ 6 सेमेस्टर"
2. धारा 5, "पात्रताः 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 50% या अधिक अंकों के साथ" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
   "पात्रताः चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्तत्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 45% या अधिक अंकों के साथ अथवा संबंधित या समीपवर्ती विषय में डिप्लोमा भी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री में प्रवेश के पात्र होंगे" । पात्रता, ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार होगी ।

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 13 (बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (मेकेनिकल इंजिनयरिंग)) में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 13 बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (मेकेनिकेल इंजिनयरिंग)) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. धारा 4, में "अतरालः 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
   "अंतरालः 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर एवं लेटेरल प्रवेश के लिए 3 वर्ष/ 6 सेमेस्टर"
2. धारा 5, "पात्रताः 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्तत्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 50% या अधिक अंकों के साथ" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
   "पात्रताः चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्तत्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 45% या अधिक अंकों के साथ अथवा संबंधित या समीपवर्ती विषय में डिप्लोमा भी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री में प्रवेश के पात्र होंगे" । पात्रता, ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार होगी ।

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 14 (बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस एंड इंजिनयिरंग)) में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 14 बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस एंड इंजिनयरिंग)) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. धारा 4, में "अतरालः 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-
   "अंतरालः 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर एवं लेटेरल प्रवेश के लिए 3 वर्ष/ 6 सेमेस्टर"
2. धारा 5, "पात्रताः 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्तत्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 50% या अधिक अंकों के साथ" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

"पात्रताः चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्तत्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 45% या अधिक अंकों के साथ अथवा संबंधित या समीपवर्ती विषय में डिप्लोमा भी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री में प्रवेश के पात्र होंगे" । पात्रता, ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार होगी ।

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 15 (बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेश इंजिनयिरंग)) में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 15 बैचलर ऑफ टेक्नोलोजी – बी.टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेश इंजिनयिरंग इंजिनयरिंग)) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

1. धारा 3, में "अतरालः 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाएः- "अंतराल: 4 वर्ष / आठ सेमेस्टर एवं लेटेरल प्रवेश के लिए 3 वर्ष/ 6 सेमेस्टर"
2. धारा 4, "पात्रताः 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्तत्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 50% या अधिक अंकों के साथ" को संशोधित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाएः- "पात्रताः चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए, 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों सहित एवं 45% या अधिक अंकों के साथ अथवा संबंधित या समीपवर्ती विषय में डिप्लोमा भी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री में प्रवेश के पात्र होंगे" । पात्रता, ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार होगी ।

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 31 (बी.कॉम.) कार्यक्रम संरचना में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 31 (बी.कॉम.) कार्यक्रम संरचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

धारा 13 पैरा 5,

"कला एवं मानविकी संकाय" को "वाणिज्य संकाय" में पुनः स्थापित किया किया जाए ।

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 32 (बी.कॉम.(ऑनर्स)) कार्यक्रम संरचना में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 32 (बी.कॉम.(ऑनर्स)) कार्यक्रम संरचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

धारा 13 पैरा 5,

"कला एवं मानविकी संकाय" को "वाणिज्य संकाय" में पुनः स्थापित किया किया जाए ।

----- ooo -----

अध्यादेश क्रमांक 33 (बी.एस.सी.) कार्यक्रम संरचना में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक 33 (बी.एस.सी.) कार्यक्रम संरचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

धारा 13 पैरा 5,

"कला एवं मानविकी संकाय" को "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय" में पुनः स्थापित किया किया जाए ।

----- ooo -----

Atal Nagar, the 24th October 2019

NOTIFICATION

No. F 9-1/2011/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 682/PU/S&O/2011/11003, Dated 28-09-2019 has approved the New Ordinances No. 35 to 39 and amendment of Ordinances No. 7 to 15 and 31 to 33 of I.C.F.A.I. University, Gram-Chorha, R.I. Circle Ahiwara Tehsil-Dhamdha, District-Durg Under Section 29 (2) of Chhattisgarh Private Universities(Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALARMELMANGAI D., Special Secretary.

ORDINANCE No. 35

Diploma in Computer Application (D.C.A.)

1. TITLE OF DIPLOMA: Diploma in Computer Application (D.C.A.)
2. FACULTY: This Diploma in Computer Application (D.C.A.) will be offered in the Faculty of Information Technology.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semester: First Semester – From July to December; Second Semester- From January to June.
4. DURATION OF COURSE
   (1) The duration of the course will be one year of two semesters.
   (2) The maximum duration available to a student for completion of DCA Course shall be two years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.
5. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (1) The minimum qualification for admission to one year of D.C.A. Curriculum shall be passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2 examination) from a recognized State / National/ International Board / University or an equivalent qualification.
   (2) Admission to D.C.A course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC and the State Government.
   (3) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct, as the case may be
6. SEATS The Class will have 60 Seats and multiple section can be setup
7. COURSE FEE
   Course fee shall be decided by the University and the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission shall be obtained
8. EXAMINATIONS
   (1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the programme of study.
   (2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.
   (3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator due to any of the following reasons with the approval of Vice Chancellor:
      (a) Disciplinary action taken against the student.
      (b) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 10 related to attendance.
   (4) The University shall conduct examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory /

practical courses who may have failed or missed the previous semester examination and are permitted by the virtue of the provisions of ordinances

(5) If a candidate has passed a semester examination in all subjects after obtaining requisite percentage of marks, he / she shall be permitted to reappear in that examination for improvement in division marks / grades or for any other purpose.

9. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of Semester end Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

10. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may give a relaxation of 15% of attendance in genuine cases.

11. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum by the Board of Studies and approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the degree programme and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of degree a candidate should have secured minimum 4.00 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

12. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

13. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council before its publication.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
9.00 or above	Distinction
6.5 or more but less than 9.00	First Division
4 or more but less than 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses .

Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks: Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Notwithstanding anything contained the above, the University shall ensure that the study programme leading to D.C.A shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(4) General: In all matters pertaining to the program structure/courses, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final.

(5) The grade sheet and the diploma certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

*****

ORDINANCE No. 36

Post Graduate Diploma in Computer Application (P.G.D.C.A.)

1. TITLE OF DIPLOMA: Post Graduate Diploma in Computer Application (P.G.D.C.A.)
2. FACULTY: This Postgraduate Diploma in Computer Application (P.G.D.C.A.) will be offered in the Faculty of Information Technology.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semester: First Semester – From July to December; Second Semester- From January to June.
4. DURATION OF COURSE
   (1) The duration of the course will be one year of two semesters.
   (2) The maximum duration available to a student for completion of PGDCA Course shall be two years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.
5. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (1) The minimum qualification for admission to one year P.G.D.C.A. Curriculum shall be passing of any Graduation from a recognized State/National/International University or equivalent thereto.
   (2) Admission to P.G.D.C.A course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC and the State Government.
   (3) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct as the case may be.
6. SEATS The Class will have 60 Seats and multiple sections can be setup
7. COURSE FEE
   Course fee shall be decided by the University and the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission shall be obtained.
8. EXAMINATIONS
   (1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the programme of study.
   (2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.
   (3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator due to any of the following reasons with the approval of Vice Chancellor:
      (c) Disciplinary action taken against the student.
      (d) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 10 related to attendance.
   (4) The University shall conduct examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination and are permitted by the virtue of the provisions of ordinances.

(5) If a candidate has passed a semester examination in all subjects after obtaining requisite percentage of marks , he / she will NOT be permitted to reappear in that examination for improvement in division marks / grades or for any other purpose.

9. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of Semester end Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(c) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

10. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may give a relaxation of 15% of attendance in genuine cases.

11. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum by the Board of Studies and approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the diploma programme and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of diploma a candidate should have secured minimum 4.00 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

12. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

13. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concern Board of Studies and shall be approved by the Academic Council before its publication.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:

Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
9.00 or above	Distinction
6.5 or more but less than 9.00	First Division
4 or more but less than 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses .

Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Notwithstanding anything contained the above, the University shall ensure that the study programme leading to P.G.D.C.A shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(4) General: In all matters pertaining to the program structure/courses, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final.

(5) The grade sheet and the diploma certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

*****

ORDINANCE No.37

Bachelor of Business Administration (Hotel Management and Catering Science)

1. TITLE OF DEGREE: Bachelor of Business Administration (Hotel Management and Catering Science) -[B.B.A. (H.M.C.S.)]
2. FACULTY: This undergraduate course of B.B.A. (H.M.C.S.) shall be offered in the Faculty Management Studies.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semester: First Semester – From July to December; Second Semester- From January to June.
4. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (1) The minimum qualification for admission to first year of B.B.A. (H.M.C.S.) curriculum shall be passing of Higher Secondary School Certificate Examination (10+2 examination) from a recognized State / National/ International Board / University or as may be fixed by the University.
   Provided that, a lateral entry in second year (3rd Semester) may be allowed if a candidate has passed one year diploma in the field of Hotel Management, Hospitality or Catering Studies, after higher secondary school certificate examination (10+2 examination) from a recognized University..

   (2) Admission to B.B.A. (H.M.C.S.) course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council, at the first year level. The admission policy shall be decided by the Governing Body of the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC and the State Government.

   (3) The University may admit a student to B.B.A. (H.M.C.S.) course on transfer from other Institutes /Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of the academic requirements of the University in respect of the program. However, no student will be permitted to be transferred during the first year under the scheme.

   (4) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct as the case may be.
5. SEATS The Class will have 60 Seats and multiple section can be setup
6. COURSE FEE
   Course fee shall be decided by the University and the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission shall be obtained.
7. DURATION OF THE COURSE
   (1) The duration of the course shall be three years divided into six semesters.
   (2) The Academic Calendar including semester breaks shall be declared by the Academic Council at the beginning of each year.
   (3) The maximum duration available to a student for completion of B.B.A. (H.M.C.S.) Course shall be five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.
   (4) At the beginning of each semester every student shall have to register himself / herself within the duration prescribed in the academic calendar.

8. EXAMINATIONS

(1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the program of study.

(2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.

(3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator due to any of the following reasons with the approval of Vice Chancellor:

(e) Disciplinary action taken against the student.

(f) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 10 related to attendance.

(4) The University shall conduct examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination and are permitted by virtue of the provisions of ordinances.

(5) If a candidate has passed a semester examination in all subjects after obtaining requisite percentage of marks he / she shall be permitted to reappear in that examination for improvement in division marks / grades for any other purpose.

9. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of Semester end Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(d) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

10. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may give a relaxation of 15% of attendance in the genuine cases.

11. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum by the Board of Studies and approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the degree program and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of degree a candidate should have secured minimum 4.00 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

12. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

13. PROGRAM STRUCTURE

(1) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council before its published.

(2) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
9.00 and above	Distinction
More than 6.5 and less than 9.00	First Division
More than 4 and less than 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses .

Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(3) Notwithstanding anything contained above, the University shall ensure that the study program leading to B.B.A. (H.M.C.S.) degree shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(4) General: In all matters pertaining to the program structure/courses, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final.

(5) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

*****

ORDINANCE No. 38

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

1. **Title of the Degree:** Doctor of Philosophy (Ph.D.)
2. **Applicability:** This ordinance will be applicable to all faculties of the University.
3. **Eligibility criteria for admission to Ph.D. Program:**
   Subject to the conditions stipulated in this Ordinance, following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. program:
   3.1 Candidates for admission to the Ph.D. program shall have a Master's degree or a professional degree equivalent to the Master's degree, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.
   3.2 A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-Abled and other categories of candidates as per the decision of the University Grants Commission (UGC) from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.
   3.3 Candidates possessing M.Phil. degree or a degree considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution, from a Foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. program provided.
4. **Duration of the Program:**
   4.1 Ph.D. program shall be for a minimum duration of three years for candidates of regular mode and Four years for candidates of part time mode, including course work and the maximum period shall be of six years.
   Provided that the candidate possessing M.Phil. degree or a teacher with 2 years teaching or professional experience at the time of registration can submit his/her thesis after 2 years instead of 3 years for regular mode or 3 years instead of 4 years for part time mode.
   4.2 Extension beyond the above limits may be given by the Vice-Chancellor for the period of one year which may be again extended for another year by paying prescribed fee.
   4.3 The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of two years for Ph.D. in the maximum duration. In addition, the women candidates may be provided Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 days.
5. **Procedure for admission:**
   5.1 Admission to Ph.D. program will be through an Entrance Test conducted at the level of the University. The University may exempt conditions for Ph.D. Entrance Test for those candidates who qualify UGC-NET (including JRF)/UGC-CSIR NET (including

JRF)/SLET/GATE/teacher fellowship holder or have passed M.Phil. Program or regular teacher from Higher Education Institution with 2 years of services.

5.2 For conducing the entrance tests for Ph.D. programs, the University shall:

5.2.1 decide through their academic bodies a predetermined and manageable number of Ph.D. scholars to be admitted depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available, keeping in mind the norms regarding the scholar- teacher ratio (as indicated in Para 6.5), laboratory, library and such other facilities;

5.2.2 notify well in advance in the University website and through advertisement in at least two (2) national newspapers, of which at least one (1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates;

5.3 The admission shall be based on the criteria notified by the Institution, keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the University Grants Commission (UGC) and other statutory bodies concerned, and taking into account the reservation policy of the State Government from time to time.

5.4 The University shall admit candidates by a two stage process through:

5.4.1 An Entrance Test in which the qualifying marks shall be 50%. The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The Entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance at the level of the University subject to the provision of clause 5.1.

5.4.2 An interview/viva-voce may be organized by the University when the candidates are required to discuss their research interest/area through a presentation before a duly constituted Committee.

5.5 The interview/viva voce shall also consider the following aspects, viz. whether:

5.5.1 the candidate possesses the competence for the proposed research;

5.5.2 the research work can be suitably undertaken at the University;

5.5.3 the proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.

5.6 The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration.

6. **Allocation of Research Supervisor:** Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co- Supervisor, Number of Ph.D. scholars permissible per Supervisor, etc.

6.1 Any regular Professor of the University with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the university with a Ph.D. degree and at least two research publications in refereed journals may be recognized as Research Supervisor. Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the University may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons to be recorded in writing.

6.2 Only a full time regular teacher of the University can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co- Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same institute or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee.

6.3 The allocation of Research Supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholars per Research Supervisor, the

available specialization among the Supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.

6.4 In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside, the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor, and a Co-Supervisor from outside the Department/ Faculty/College/Institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institutions/Colleges.

6.5 A Research Supervisor, who is a Professor, at any given point of time, cannot guide more than Eight (8) Ph.D. scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (6) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (4) Ph.D. scholars.

6.6 In case of relocation of an Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.

7. **Course Work:** Credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.

7.1 The credit assigned to the Ph.D. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits, as designed by Board of Studies of subject concerned.

7.2 The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. degree.

7.3 All courses prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.

7.4 The Department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee, as stipulated under sub-Clause 8.1 below, of the research scholar.

7.5 All candidates admitted to the Ph.D. program shall be required to complete the course work prescribed by the Department during the initial one or two semesters for regular mode and three or four semester for part time mode as scheduled by the University.

7.6 Candidates already holding M. Phil. degree and admitted to the Ph.D. program, or those who have already completed the course work in M.Phil. and have been permitted to proceed to the Ph.D. in integrated course, may be exempted by the Department from the Ph.D. course work. All other candidates admitted to the Ph.D. program shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Department.

7.7 Grades in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Research Advisory Committee and the Department and the final grades shall be communicated to the University.

7.8 A Ph.D. scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade/CGPA in a point scale wherever grading system is

followed) in the course work in order to be eligible to continue in the program and submit the thesis.

7.9 On the recommendation of the Supervisor, the course work may be carried out by the candidates in sister schools/ departments/ institutes either within or outside the University.

8. **Research Advisory Committee (RAC) and its functions:**

8.1 There shall be a Research Advisory Committee, for each Ph.D. scholar. This committee will be consisting of the followings: -

(a) Research Supervisor of the scholar who shall be the Convener of this Committee.

(b) Head of the concerned department as Member

(c) Two senior faculty members of the University, who are eligible to guide a Ph.D. scholar as members

If the University doesn't have two senior faculty members, eligible to guide a Ph.D. then the Vice-Chancellor will be authorized to nominate a member from outside the University who is eligible to be a Ph.D. guide.

Total 3 members will be required to complete the quorum of the committee.

8.2 RAC shall have the following responsibilities:

8.2.1 To review the research proposal and finalize the topic of research for approval of Research Degree Committee (RDC);

8.2.2 To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.

8.2.3 To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.

8.3 A research scholar shall appear before the Research Advisory Committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the Research Advisory Committee to the University with a copy to the research scholar.

8.4 In case the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures, the Research Advisory Committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

9. **Research Degree Committee (RDC) and its functions:**

9.1 There shall be a Research Degree Committee (RDC), for each subject. This committee will be consisting of the followings: -

(a) Vice Chancellor of the University or his nominee – Chairman

(b) Dean of the faculty - Member

(c) Head of the concerned department - Member

(d) Chairman of concerned Board of Studies – Member

(e) Supervisor of the Candidate

Total 3 members will be required to complete the quorum of the committee.

9.2 To consider the research proposal and approve/revise/reject the topic of research recommended by the Research Advisory Committee (RAC) as per para 8.2.1

9.3 The Research Degree Committee shall have other powers related to research work not mentioned elsewhere in this Ordinance.

9.4 The topic of the research, if approved by the RDC, shall be considered suitable for registration.

10. **Evaluation and Assessment Methods, minimum standards/credits for award of the degree, etc.:**

10.1 The overall minimum credit requirement, including credit for the course work, for the award of Ph.D. degree shall not be less than 24 credits.

10.2 Upon satisfactory completion of course work, and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clause 7.8 above, as the case may be, the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft thesis within a reasonable time, as stipulated by the Institution concerned based on this Ordinance.

10.3 Prior to the submission of the thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the University concerned, which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the Research Advisory Committee.

10.4 Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed/standard journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

10.5 The candidate shall submit 6 copies of the summary of the thesis, together with a list of at least one research paper published or accepted for publication in standard journal, through his her supervisor to the Registrar about 2 months prior to the anticipated date of submission of thesis.

10.6 The supervisor shall submit a panel of at least six names of examiners actively engaged in the concerned area of research not below the rank of Associate Professor in a sealed cover to the Registrar. Provided that the panel of examiners shall be obtained from the Chairman, Board of Studies of the Subject concerned, in case the candidate is related to the supervisor.

10.7 On the receipt of the panel of examiners from the supervisor and summary from the candidate, the Registrar/Controller of examinations shall call a meeting of a committee constituted by Vice-Chancellor of the University for this purpose. The committee considering the panel submitted by the supervisor/Chairman, Board of studies, will prepare a panel of six names to act as examiner.

10.8 The Academic Council (or its equivalent body) of the University shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work was carried out, or to any other Institution.

10.9 The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research Supervisor and at least two external examiners appointed by the Vice-Chancellor from the panel submitted under clause 10.7. The said examiners should not be, in employment of the Institution/College, of whom, one examiner must be from outside the state of Chhattisgarh or the country. The viva-voce examination, based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the Research Supervisor and one of the two external examiners, and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee (RAC), all faculty members of the Department, other research scholars and other interested experts/researchers.

Provided that, in case the supervisor is unable to conduct viva-voce due to any reason, the co-supervisor (if any) may conduct the viva-voce in place of supervisor.

Provided furtherthat, if co-supervisor is also unable to conduct viva-voce due to any reason, Vice-Chancellor may appoint a faculty member to conduct the viva-voce of the candidate.

10.10 The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If one of the evaluation reports of the external examiner about the thesis is unsatisfactory and does not recommend viva-voce, the University shall send the thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory, the thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.

11. **Attendance**

A Ph.D. candidate must have an attendance of 200 days in his/her tenure including course work in the concerned department of the university or with the supervisor.

12. **Treatment of Ph.D. through Part-time mode:**

Part-time Ph.D. will be allowed provided all the conditions mentioned in the extant Ph.D. Ordinance, are met.

13. **Course Fee**

Coursefee shall be decided by the University after obtaining the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.

14. **Depository with INFLIBNET:**

14.1 Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the University shall submit an electronic copy of the Ph. D. thesis to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.

14.2 Prior to the actual award of the degree, the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has beenawarded in accordance with the provisions of these UGC Regulations, 2016.

15. The University shall follow the other guidelines and norms of the University Grants Commission (UGC) regarding the Ph.D. process.

16. The University shall provide necessary pro-forma for preparation of synopsis, various declaration by the candidate, Certificate of the supervisors, copy right transfer approval and evaluation report by the examiner etc.

*****

ORDINANCE No. 39

Master of Arts (M.A.)

1. TITLE OF DEGREE: Master of Arts - M.A.
2. FACULTY: This Postgraduate course of M.A. will be offered in the Faculty of Arts and Humanities and Education.
3. ACADEMIC YEAR: There will be two semesters: First Semester – From July to December; Second Semester- From January to June.
4. DURATION OF COURSE
   (1) The duration of the course will be two years of four semesters.
   (2) The maximum duration available to a student for completion of M.A. Course shall be four years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student but it shall exclude the period of Rustication if any.
5. ELIGIBILITY FOR ADMISSIONS
   (1) The minimum qualification for admission to first semester of M.A. curriculum shall be passing of Graduation from a recognized State/National/International University or equivalent thereto provided that for admission to first semester of M.A. (Education) a candidate must have education as a subject at graduate level or a degree in Education.
   (2) Admission to M.A. course shall be offered at the beginning of each session or as prescribed by the Academic Council, at the first year level. The admission policy shall be decided by the University, in accordance with the guidelines issued by the UGC and the State Government.
   (3) The University may admit a student to M.A. course on transfer from other Institutes /Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of the academic requirements of the University in respect of the program.
   (4) The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him /her to discontinue his / her studies at any stage of his /her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct as the case may be.
6. SEATS The Class will have 40 Seats in each subject and multiple sections can be setup
7. COURSE FEE

   Course fee shall be decided by the University and the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission shall be obtained.
8. EXAMINATIONS
   (1) The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of various tests, quizzes etc. to evaluate progress of the student. There shall be one End semester Examination for assessing the student's performance during the programme of study.
   (2) The detailed examination scheme for End semester Examination as well as Progress various tests for all components of the curriculum shall be as laid out by the University in this regard.
   (3) A Student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of Faculty/Academic Coordinator due to any of the following reasons with the approval of Vice Chancellor:
      (a) Disciplinary action taken against the student.
      (b) On the recommendation of concerned Head of the department/Coordinator, if the attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below as prescribed in Para 10 related to attendance.

(4) The University shall conduct examination at the end of each semester for the regular students. The examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semester examination and are permitted by virtue of the provisions of ordinances.

(5) If a candidate has passed a semester examination in full he / she will NOT be permitted to reappear in that examination for improvement in division marks / grades or any other purpose.

9. EVALUATION (ASSESSMENT) OF PERFORMANCE

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated for each component of the curriculum separately following the system of continuous evaluation consisting of Semester end Examination and various tests. The maximum marks in each component of curriculum shall be as per the examination scheme designed by the Board of Studies and approved by the Academic Council.

(b) All points (marks) obtained by a student in various components of evaluation in the subject will be summed up for award of grade.

10. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75 percent of the classes held separately in each subject of the course of study provided that the Vice Chancellor may give a relaxation of 15% of attendance in genuine cases.

11. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

(1) Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended in the curriculum Board of Studies and shall be approved by the Academic Council and Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

(2) Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter Grade Awarded to a student shall depend upon his combined performance in the end semester examination and various other components of evaluation.

(3) The letter grades to be used and their numerical equivalents called the Grade Points shall be as per the regulations framed by the Academic Council in this regard following the recommendations of UGC's Choice Based Credit System (CBCS)

(4) Letter grades shall be awarded for each subject

(5) A student shall earn all the credits allotted to a particular subject in the program structure of the course, if he/she obtains a valid grade. (at least "P", meaning pass in the subject).

(6) A student receiving Grade "F" in a subject (course) shall be considered to have failed in that subject (course) and will be required to reappear in the examinations or repeat the subject (course) again.

(7) The Semester Grade Point Average (SGPA) for a semester is a weighted average of course grade points obtained by a student in that semester. The SGPA for each semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(8) The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the weighted average of course grade points obtained by a student for all courses taken since his admission in the degree programme and reflects the cumulative performance of a student. The CGPA at the end of the semester shall be calculated as per UGC guidelines.

(9) At the end of each semester, SGPA and CGPA shall be calculated up to two decimal places without rounding off.

(10) For the award of degree a candidate should have secured minimum 4.00 CGPA.

(11) The final examination grade sheet at the end of final semester examination of the course shall show the CGPA earned in the course. The CGPA can be converted into equivalent percentage marks as per the regulations framed by the Academic Council.

12. TRANSCRIPT

The transcript issued to a student after completion of the course shall contain the consolidated record of all the subjects taken semester wise by the student, grades obtained in each subject, SGPA and CGPA of each semester and the final SGPA and CGPA. The transcript will also mention the division secured by the student.

13. PROGRAM STRUCTURE

(1) The University can introduce Master of Arts (M.A.) course in English, Economics, History, Public Administration, Geography, Hindi, Sanskrit, Psychology, Sociology, Statistics, Mathematics, Mass Communication, Journalism, Education, Philosophy and Yoga.

(2) Design of Curriculum: The curriculum and scheme of examination shall be designed by concerned Board of Studies and shall be approved by the Academic Council before its published.

(3) Scheme of Examination and Evaluation Procedure and award of letter grades:
Result (Awards of Letter Grades): The University shall follow the relative grading system as recommended by the University Grant Commission (UGC) and the final letter grades obtained will be shown as follows:

Letter Grade	Classification of the final results	Grade Points
O	Outstanding	10
A+	Excellent	9
A	Very Good	8
B+	Good	7
B	Above Average	6
C	Average	5
P	Pass	4
F	Fail	0
AB	Absent	0

Note: A student obtaining grade 'F' shall be considered failed and will be required to reappear in the examination

Allocation of Division

CGPA	Division
9.00 or above	Distinction
6.5 or more but less than 9.00	First Division
4 or more but less than 6.5	Second Division

Computation of CGPA and SGPA:

SGPA - Semester Grade Point Average

CGPA - Cumulative Grade Point Average

The following procedure will be used to compute SGPA and CGPA:

$$CGPA = \frac{u_1g_1 + u_2g_2 + u_3g_3 + ...}{u_1 + u_2 + u_3 + ...}$$

Where, u_1, u_2, u_3... denotes the units credits associated with courses taken by the student and g_1, g_2, g_3.....denotes grade points of the letter grades awarded in respective courses .

Similarly, the SGPA indicates, the weightage average of the grade point of the students obtained in a particular semester only and the letter grades obtained in the subject (courses) in that semester enter in to SGPA computations.

Conversion of CGPA to Marks:

Percentage of Marks = (CGPA -0.5) X 10

(4) Notwithstanding anything contained above, the University shall ensure that the study programme leading to M.A. degree shall conform, to the set norms of the UGC or the concerned statutory body if any.

(5) General: In all matters pertaining to the program structure/courses, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final.

(6) The grade sheet and the degree certificate shall be in the same manner as prescribed in ordinance No. 16 with appropriate entry.

*****

Amendment in Ordinance No. 7 Bachelor of Education - B.Ed.

Amendments in Ordinance No. 7 Bachelor of Education - B.Ed. are as under: -

1. Section 3, "Duration: one year" shall be amended and read as "Duration: Two years".
2. Section 5, "Seats: The Class will have 60 seats and multiple sections can be setup" shall be amended and read as
"Seats: Number of seats will be as approved by NCTE".
3. Section 7, Existing section shall be deleted and read as
"Course fee will be fixed by Admission and Fee regulatory Committee (AFRC), Chhattisgarh."
4. Section 9, Existing section shall be deleted and read as "Scheme of the examination and design of the curriculum shall be decided by concerned board of studies and approved by Academic council"

------ 000 ------

Amendment in Ordinance No. 8 Bachelor of Business Administration

Amendment in Ordinance No. 8 Bachelor of Business Administration is as under: -

Section 5 "Eligibility: 10+2 or its equivalent with aggregate 50% and above in any discipline" shall be amended and read as "Eligibility: 10+2 or its equivalent in any discipline"

------ 000 ------

Amendment in Ordinance No. 9 Bachelor of Computer Administration (BCA)

Amendments in Ordinance No. 8 Bachelor of Business Administration) are as under: -

1. Name of the Ordinance shall be amended and read as "Bachelor of Computer Application (BCA)"
2. Section 1, "Title: Bachelor of Business Administration (BCA)" shall be amended and read as "Title: "Bachelor of Computer Application (BCA)".
3. Section 2, "Faculty: Faculty of Science & Technology" shall be amended and read as "Faculty: Faculty of Information Technology"
4. Section 4, "Eligibility: 10+2 or its equivalent with aggregate 50% and above in any discipline" shall be amended read as "Eligibility: 10+2 or its equivalent in any discipline"

------ 000 ------

Amendment in Ordinance No. 10 Master of Computer Administration (MCA)

Amendments in Ordinance No. 10 Master of Computer Administration (MCA) are as under: -

1. Name of the Ordinance shall be amended and read as "Master of Computer Application (MCA)"
2. Section 1, "Title: Master of Business Administration (MCA)" shall be amended and read as "Title: "Master of Computer Application (MCA)".
3. Section 2, "Faculty: Faculty of Science & Technology" shall be amended and read as "Faculty: Faculty of Information Technology"
4. Section 3, "Duration: - 3 years / Six Semesters" shall be amended and read as "Duration: - 3 years / Six Semesters and 2 years /Four Semesters for lateral entry"

5. Section 4, "Eligibility: - Graduation in any discipline with 45% and above aggregate marks; Final year degree students awaiting result" shall be amended and read as:- "Eligibility: - Graduation in any discipline with 40% and above aggregate marks and mathematics at 10+2 level; Final year degree students awaiting result may also apply for 3 year course. B.C.A. / B.Sc. (IT or Computer Science) / 1 year PGDCA / Graduation with mathematics are also eligible for lateral entry in the second year of M.C.A. program.

----- 000 -----

Amendment in Ordinance No. 11 Bachelor of Hospitality & Tourism Management (BHTM)

The UGC has removed the name of this degree hence, as per the guidelines of UGC, amendments in Ordinance No. 11 Bachelor of Hospitality & Tourism Management (BHTM) are as under: -

1. Name of the Ordinance shall be amended an read as "Bachelor of Business Administration (Hospitality and Tourism Management – BBA (HTM)"
2. Section 1, "Title: Bachelor of Hospitality and Tourism Management (BHTM)" shall be amended as read as "Title: Bachelor of Business Administration (Hospitality and Tourism Management – BBA (HTM)"
3. Section 4 "Eligibility: 10+2 or its equivalent with aggregate 50% and above in any discipline" shall be amended and read as "Eligibility: 10+2 or its equivalent in any discipline"

------ 000 -----

Amendment in Ordinance No. 12 Bachelor of Technology (B.Tech.) - Civil Engineering

Amendments in Ordinance No. 12 Bachelor of Technology (B.Tech.) - Civil Engineering are as under: -

1. Section 4, "Duration – 4 years / Eight Semesters" shall be amended and read as "Duration – 4 years / Eight Semesters and 3 years /Six Semesters for lateral entry"
2. Section 5 – "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 50% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects" shall be amended and read as "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 45% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects for 4 years course or Diploma in Concerned or allied discipline are eligible for lateral entry in second year of B.Tech. Program". The eligibility criteria shall confirm to AICTE norms.

------ 000 -----

Amendment in Ordinance No. 13 Bachelor of Technology (B.Tech.) - Mechanical Engineering

Amendments in Ordinance No. 13 Bachelor of Technology (B.Tech.) - Mechanical Engineering are as under: -

1. Section 4, "Duration – 4 years / Eight Semesters" shall be amended and read as "Duration – 4 years / Eight Semesters and 3 years /Six Semesters for lateral entry"
2. Section 5 – "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 50% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects" shall be amended and read as "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 45% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects for 4 years course or Diploma in Concerned or allied discipline are eligible for lateral entry in second year of B.Tech. Program". The eligibility criteria shall confirm to AICTE norms.

----- 000 -----

Amendment in Ordinance No. 14 Bachelor of Technology (B.Tech.) - Computer Science & Engineering

Amendments in Ordinance No. 14 Bachelor of Technology (B.Tech.) – Computer Science & Engineering are as under: -

1. Section 4, "Duration – 4 years / Eight Semesters" shall be amended and read as "Duration – 4 years / Eight Semesters and 3 years /Six Semesters for lateral entry"
2. Section 5 – "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 50% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects" shall be amended and read as "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 45% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects for 4 years course or Diploma in Concerned or allied discipline are eligible for lateral entry in second year of B.Tech. Program". The eligibility criteria shall confirm to AICTE norms.

----- 000 -----

Amendment in Ordinance No. 15 Bachelor of Technology (B.Tech.) - (Electronics & Communication Engineering)

Amendments in Ordinance No. 15 Bachelor of Technology (B.Tech.) – Electronics & Communication Engineering are as under:

1. Section 3, "Duration – 4 years / Eight Semesters" shall be amended and read as "Duration – 4 years / Eight Semesters and 3 years /Six Semesters for lateral entry"
2. Section 4 – "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 50% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects" shall be amended and read as "Eligibility: - 10+2 or its equivalent with aggregate 45% and above with pass in each of the Mathematics, Physics, Chemistry and English subjects for 4 years course or Diploma in Concerned or allied discipline are eligible for lateral entry in second year of B.Tech. Program". The eligibility criteria shall confirm to AICTE norms.

----- 000 -----

Amendment in Ordinance No. 31 Program structure of B.Com.

Amendments in Ordinance No. 31 Program structure of B.Com. are as under:-

In Section 13 Para 5,

"Faculty of Arts and Humanities" shall be replaced by "Faculty of Commerce"

----- 000 -----

Amendment in Ordinance No. 32 Program structure B.Com. (Hons.)

Amendments in Ordinance No. 32 Program structure of B.Com. (Hons.) are as under:-

In Section 13 Para 5,

"Faculty of Arts and Humanities" shall be replaced by "Faculty of Commerce"

----- 000 -----

Amendment in Ordinances No. 33 Program structure of B.Sc.

Amendments in Ordinance No. 33 Program structure of B.Sc. are as under:-

In Section 13 Para 5,

"Faculty of Arts and Humanities" shall be replaced by "Faculty of Science and Technology".

----- 000 -----

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.